दिनांक 04.09.2024
प्रेस विज्ञप्ति 05/2024

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद प्रतापगढ़/थाना लीलापुर

- **25–25 हजार रूपये के 02 पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 04.09.2024 को थाना लीलापुर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर लखपेड़ा मार्ग घरौरा मोड़ के पास से 02 पुरस्कार घोषित अभियुक्तों 1–रफीक 2–अबु तालिब को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जो थाना लीलापुर पर पंजीकृत गैंगेस्टर एक्ट के अभियोग में वांछित चल रहे थे, जिनकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25–25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना लीलापुर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–रफीक निवासी ग्राम गाबी महुआवन थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़।

2–अबु तालिब निवासी ग्राम गाबी महुआवन थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़।

जनपद मथुरा/थाना महावन

- **पुलिस कार्यवाही में 02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट के 08 हजार 500 रूपये नगद व आभूषण**
- **02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस**
- **01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट) बरामद**

दिनांक 03/04.09.2024 की रात्रि थाना महावन व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर लक्ष्मीनगर महावन रोड नगला पापडी तिराहा के पास बदमाशों की घेराबन्दी की गई तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त

1–हरेन्द्रपाल 2–गीतम घायल हो गये, जिन्हे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूट के 08 हजार 500 रूपये नगद व आभूषण, 02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस, 01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट) बरामद हुए। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 01.09.2024 को थाना महावन क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा हत्या सहित लूट की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना महावन पर अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी व माल बरामदगी के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद आभूषण, रूपया उक्त घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना महावन पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–हरेन्द्रपाल निवासी मनोहरपुर थाना महावन जनपद मथुरा।

2–गीतम निवासी मनोहरपुर थाना महावन जनपद मथुरा।

बरामदगी

1–लूट के 08 हजार 500 रूपये नगद व आभूषण।

2–02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

3–01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट)।

जनपद खीरी/थाना मैगलगंज

- **04 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 85 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के चोरी के 07 अजना कार्ड (इलेक्ट्रानिक उपकरण मोबाइल टावर)**
- **51 हजार 400 रूपये नगद आदि**
- **01 स्विफ्ट डिजायर कार बरामद**

दिनांक 04.09.2024 को थाना मैगलगंज पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर रहजनिया पेट्रोलपम्प के पास से 04 अभियुक्तों 1– प्रेमचन्द 2– नेकराम 3– मुकेश

4–किशनवीर को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 85 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के चोरी के 07 अजना कार्ड (इलेक्ट्रानिक उपकरण मोबाइल टावर), 51 हजार 400 रूपये नगद, 01 स्विफ्ट डिजायर कार आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि थाना मैगलगंज क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा मोबाइल टावर से इलेक्ट्रानिक उपकरण के चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना मैगलगंज पर अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी व माल बरामदगी के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद अजना कार्ड (इलेक्ट्रानिक उपकरण मोबाइल टावर) आदि चोरी की घटनाओं से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना मैगलगंज पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–प्रेमचन्द निवासी ग्राम कपसिया थाना सिकंद्राराऊ जनपद हाथरस।

2–नेकराम निवासी ग्राम हरिहरपुर थाना अमवांपुर जनपद कासगंज।

3–मुकेश निवासी ग्राम जावतीपुर थाना कासगंज सदर जनपद कासगंज।

4–किशनवीर निवासी ग्राम रामपुरिया नगला थाना कोतवाली सदर जनपद कासगंज।

<u>बरामदगी</u>

1–लगभग 85 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के चोरी के 07 अजना कार्ड (इलेक्ट्रानिक उपकरण मोबाइल टावर)।

2–51 हजार 400 रूपये नगद आदि।

3–01 स्विफ्ट डिजायर कार।

<u>कमिश्नरेट लखनऊ/थाना सआदतगंज</u>

- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 10 लाख रूपये कीमत के चोरी के सोने के आभूषण**
- **चोरी के 30 हजार रूपये नगद बरामद**

दिनांक 04.09.2024 को थाना सआदतगंज पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर लालपैथ लैब के पास से अभियुक्त शादाब उर्फ शानू को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार

अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से लगभग 10 लाख रूपये कीमत के चोरी के सोने के आभूषण, चोरी के 30 हजार रूपये नगद बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना सआदतगंज पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–शादाब उर्फ शानू निवासी पुरानी मछली बाजार थाना मछली शहर जनपद जौनपुर, हालपता हातानूरबेग थाना सआदतगंज कमिश्नरेट लखनऊ।

बरामदगी

1–लगभग 10 लाख रूपये कीमत के चोरी के सोने के आभूषण।

2–चोरी के 30 हजार रूपये नगद।

कमिश्नरेट लखनऊ/थाना ठाकुरगंज

- **चोरी की घटना का अनावरण**
- **05 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **भारी मात्रा में चोरी के चाँदी के आभूषण आदि बरामद**

दिनांक 03.09.2024 को थाना ठाकुरगंज व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर गिट्टी प्लॉट सर्विस रोड फरीदीपुर के पास से 05 अभियुक्तों 1–अभिषेक 2–रजत 3–अनुज कुमार 4–अभिषेक उर्फ देशराज 5–आकाश को गिरफ्तार कर चोरी की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से भारी मात्रा में चोरी के चाँदी के आभूषण आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 06/07.08.2024 को थाना ठाकुरगंज क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना ठाकुरगंज पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद आभूषण चोरी की घटना से सम्बन्धित है। गिरफ्तार अभियुक्त अभिषेक शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध कमिश्नरेट लखनऊ के विभिन्न थानो में चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के 17 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना ठाकुरगंज पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–अभिषेक निवासी बिहारीपुर थाना सादतगंज कमिश्नरेट लखनऊ।

2–रजत निवासी बताशे वाली गली निकट बावली चौकी थाना सहादतगंज कमिश्नरेट लखनऊ।

3–अनुज कुमार निवासी ग्राम विरूरा थाना पीजीआई कमिश्नरेट लखनऊ।

4–अभिषेक उर्फ देशराज निवासी कनक सिटी थाना ठाकुरगंज कमिश्नरेट लखनऊ।

5–आकाश निवासी सुमित नगर फरीदीपुर थाना ठाकुरगंज कमिश्नरेट लखनऊ।

बरामदगी

1–भारी मात्रा में चोरी के चाँदी के आभूषण आदि।

जनपद गोण्डा/थाना कोतवाली नगर

- **03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 15 मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 03/04.09.2024 को थाना को0नगर व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर 02 अभियुक्तों 1–कौशल किशोर उर्फ सचिन 2–सूरज को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के निशादेही पर ट्रेंड्स माल गायत्रीपुरम के पास से अभियुक्त 3–शुभम को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 15 मोटर साइकिल बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी है, जिसमे अभियुक्त कौशल किशोर उर्फ सचिन के विरूद्ध जनपद गोण्डा के विभिन्न थानो में चोरी, धोखाधड़ी, आर्म्स एक्ट आदि के 04 अभियोग एवं अभियुक्त सूरज के विरूद्ध जनपद गोण्डा के विभिन्न थानो में चोरी आदि के 05 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—कौशल किशोर उर्फ सचिन निवासी कटरा कस्बा व थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा।

2—सूरज निवासी शीतल सिंह पुरवा थाना कोतवाली देहात जनपद गोण्डा।

3—शुभम निवासी शीतल सिंह पुरवा थाना कोतवाली देहात जनपद गोण्डा।

बरामदगी

1—चोरी की 15 मोटर साइकिल।

जनपद शाहजहाँपुर/थाना खुदागंज

- **04 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 08 मोटर साइकिल**
- **03 मोबाइल फोन आदि बरामद**

दिनांक 04.09.2024 को थाना खुदागंज व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर कमलापुर पुलिया के पास से 04 अभियुक्तों 1—रूचित उर्फ देवा 2—आलोक 3—सतेन्द्र उर्फ पण्डा 4—वरूण को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 08 मोटर साइकिल, 03 मोबाइल फोन आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त रूचित उर्फ देवा शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद शाहजहाँपुर के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के 07 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना खुदागंज पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—रूचित उर्फ देवा निवासी ग्राम चिनोर थाना सदर बाजार जनपद शाहजहाँपुर।

2—आलोक निवासी ग्राम कलुआपुर थाना सिंधोली जनपद शाहजहाँपुर।

3—सतेन्द्र उर्फ पण्डा निवासी ग्राम अमनपुर गोटिया थाना तिलहर जनपद शाहजहाँपुर।

4—वरूण निवासी ग्राम गदियाना सहवाजनगर रोड थाना सदर बाजार जनपद शाहजहाँपुर।

<u>बरामदगी</u>

1—चोरी की 08 मोटर साइकिल।

2—03 मोबाइल फोन आदि।

- **<u>जनपद हमीरपुर/थाना जरिया (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा व 20—20 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद हमीरपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद हमीरपुर द्वारा थाना जरिया पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/34/201/404 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1—शैलेन्द्र 2—वीरेन्द्र को आजीवन कारावास व 20—20 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद जालौन/थाना कदौरा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 34 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद जालौन पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद जालौन द्वारा थाना कदौरा पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/504/506 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त नवाब को आजीवन कारावास व 34 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद बिजनौर/थाना किरतपुर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 25 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 60 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद बिजनौर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बिजनौर द्वारा थाना किरतपुर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 363 भादवि व 6 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त बिजेन्द्र को 25 वर्ष के कठोर कारावास व 60 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद जालौन/थाना चुर्खी (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 75 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद जालौन पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद जालौन द्वारा थाना चुर्खी पर पंजीकृत अभियोग में धारा 376/506 भादवि व 67बी आईटी एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त शिवा अनस उर्फ मंगल को 20 वर्ष के सश्रम कारावास व 75 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद बहराइच/थाना रूपईडीहा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तो को 20–20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 28–28 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद बहराइच पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बहराइच द्वारा थाना रूपईडीहा पर पंजीकृत अभियोग में धारा 363/366/342 भादवि व 6 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त 1–ओमप्रकाश 2–तिलकराम को 20–20 वर्ष के कठोर कारावास व 28–28 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।